हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मो0अल्ताफ बनाम श्रीमति जोहरा मु0न0 15/2018 अर्न्तगत धारा 88,188,136 आरटीए	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में
10.01.2019 पत्रावली पेश हुई। वादी/अभिभाषक अनुपस्थित। प्रतिवादी अभिभाषक उपस्थित। वादी अभिभाषक को भिन्न–भिन्न समय मे तीन बार न्यायालय समय मे आवाजे दिलाई गई। वादी/अभिभाषक न्यायालय मे उपस्थित नही आये। अतः वादी का वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	

Scanned by CamScanner

(५)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 18/2015

श्री अल्ताफ उर्फ आशिक व अन्य **बनाम** श्रीमती जोहरा व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी जो उक्त उनवानी प्रकरण राजस्व वाद संख्या 18/2015 अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम पर प्रस्तुत हुआ है।

अधिवक्ता वादी – श्री शफी मौहम्मद

अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 17 – श्री सूरजसिंह चौहान

आदेश दिनांकः 07–02–2017

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि प्रकरण में ग्राम नयानगर पटवार क्षेत्र नयानगर भू अभिलेख क्षेत्र नयानगर की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1169 रकबा 04–01–10 कृषि भूमि का पूर्व में ही अनेक भूखण्डो का विक्रय किया जा चुका है एवं उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि नगर परिषद ब्यावर के नाम सिवायचक होकर दर्ज हो चुकी है एवं उपरोक्त के पश्चात् उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि नगर परिषद ब्यावर के नाम सिवायचक होकर दर्ज हो चुकी है एवं इसके बाद वादग्रस्त आराजियात में से श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्री देवीलाल जाति जैन निवासी गीता भवन मार्ग ब्यावर जिला अजमेर ने प्लॉट संख्या 24 को खरीद किया था तथा उक्त भूखण्ड का उपयोग परिवर्तन करवाते हुए नगर परिषद ब्यावर से आवासीय प्रयोजनार्थ कन्वर्ट हो चुका है एवं उक्त भूखण्ड का उपयोग परिवर्तन होने के कारण श्रीमान् के श्रेत्राधिकार में श्रवण अधिकार प्राप्त नहीं है । उक्त भूखण्ड के बारे में सम्पूर्ण विवद का सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है इसलिए उक्त प्रकरण बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज़ होने योग्य है । खसरा नम्बर 1169 के विभिन्न भूखण्डों पर उपयोग उपभोग परिवर्तन हो चुका है एवं उक्त भूखण्ड के बाबत् किसी प्रकार को कोई वाद कारण दिनांक 31.11.2014 को या अन्य किसी भी दिवस को उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का किसी भी प्रकार से वादीगण का उपयोग उपभोग नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त ही वादीगण का है । इस प्रकार उत्त भूखण्ड बाबत् किसी प्रकार से कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज़ होने योग्य है । प्रतिवादी संख्या 17 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत वाद खारिज़ फरमाया जाने का निवेदन किया ।

वादीगण की ओर जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन जिस प्रकार लिखे गये हैं वह गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है । यदि कोई भूखण्ड खसरा नम्बर 1169 में बनाये भी गये हैं तो वह गलत एवं गैरकानूनी रूप से बनाये गये हैं जबकि कानूनन भी उक्त भूमियों में प्रार्थीगण के अधिकारों का हनन करते हुए कोई भूखण्ड नहीं बनाये जा सकते हैं । प्रार्थीगण ने इस वाद पत्र में मात्र खसरा नम्बर 1169 का ही आधार लिया है जबकि उक्त प्रकरण में भूमि खसरा नम्बर 1167, 1168, 1180, 1182, 1184 भूमियां भी विद्यमान चली आ रही है जो कि कृषि आराजियात है तथा प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजियात सहित समस्त आराजियात का न्यायालय के मायम से विभाजन कराने का तथा अपना हक हिस्सा अलग करवाने का पूर्ण रूप से अधिकार हासिल है । वादग्रस्त भूमियों के संबंध में विभाजन करवाने का तथा वाद की सुनवाई करने का एकमात्र एवं केवलमात्र श्रवण अधिकार इसी न्यायालय को ही प्राप्त चला आ रहा है तथा न्यायालय में जो प्रकरण प्रस्तुत किया गया है भी विधिनुसार ही प्रस्तुत किया गया है । मौजूदा प्रकरण की सुनवाई का माननीय सिविल न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है । अतः अप्रार्थी संख्या 17 का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर पाषणीय नहीं रह जाने से सव्यय निरस्त होने योग्य है । अप्रार्थी संख्या 17 द्वारा प्रार्थना पत्र मं भूमि खसरा नम्बर 1169 में भूखण्ड संख्या 24 क्षेत्रफल 167.50 वर्गगज क्रय किया जाना तथा उसमें अपना हक अधिकार जताना अंकित किया गया है । इस प्रकार यह स्पष्टतया प्रमाणि:: है कि अप्रार्थी नम्बर 17 का संपूर्ण भूमियों से किसी तरह का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। इस कारण वह सम्पूर्ण भूमियों में कोई भी कथन कह पाने में तथा उसे प्रमाणित करने मेंपूर्णतया असमर्थ है तथा ना ही उसे ऐसा कोई एतराज ही करने का अधिकार प्राप्त है । अप्रार्थी नम्बर 17 का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त होने योग्य है जिसे मय हर्जे खर्चे खारिज़ फरमाया जाने का निवेदन किया ।

.....लगातार

पीयूष पारीक
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी जो उक्त उनवानी प्रकरण राजस्व वाद संख्या 18/2015 अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम पर प्रस्तुत हुआ है।

उभयपक्षान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे । बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्तागण ने न्यायिक पृष्ठ संख्या 670 एवं आरआरडी–14.08.2010 पृष्ठ संख्या 509 प्रस्तुत किये ।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पाया कि उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व से ही ग्राम नयानगर की जमाबन्दी संवत् 2067–70 के खाता संख्या 1035 में खसरा नम्बर 1169 रकबा 04–01–10 किस्म चाही1, ख.नं.1180 रकबा 00–05–10 किस्म बा.2, ख.नं. 1182 रकबा 02–15–10 किस्म बा.1 व 1184 रकबा 01–16–00 किस्म बा.1 सिवायक (नगर परिषद ब्यावर) धारा 90 बी से दर्ज है । इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2067–70 के खाता संख्या 802 में खसरा संख्या 1181/7 रकबा 00–00–11 किस्म आबादी, खाता संख्या 577 ख.नं. 1181/4 रकबा 00–00–15 किस्म आबादी, खाता संख्या 564 ख.नं. 1181/6 रकबा 00–01–11 किस्म आबादी, खाता संख्या 429 रकबा 1181/2 रकबा 00–01–02 किस्म आबादी, खाता संख्या 282 ख.नं. 1181/1 रकबा 00–02–10 किस्म आबादी, खाता संख्या 929 ख.नं. 1181/5 रकबा 00–03–04 किस्म आबादी, खाता संख्या 719 ख.नं. 1181/3 रकबा 00–01–17 किस्म आबादी दर्ज है । खसरा संख्या 1169 की भूमि पर नगर परिषद ब्यावर द्वारा वर्ष जनवरी 2013 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू आवंटन पत्र एवं प्रकरण संख्या 646/2012–13 में पट्टा विलेख जारी किये हुए हैं तथा सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1169 पर महादेव नगर के नाम से भूखण्ड भी काटे गए हैं

वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमियों में से खसरा नम्बर 1169 की भूमि बाबत् राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) के तहत भू आवंटन पत्र बाबत् आवासीय प्रयोजनार्थ महादेव नगर हेतु जारी किया हुआ है । अतः वादग्रस्त भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोग होने एवं नगर परिषद ब्यावर के क्षेत्राधिकार में होने से एवं वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में प्रस्तुत वाद में ना ही वे खातेदार है एवं न ही वाद में प्रस्तुत धाराओं में विधिक रूप से अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी है । वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 1180, 1182 व 1184 की भूमियां वाद लाने से पूर्व से ही सिवायचक होकर नगर परिषद के नाम धारा 90 बी से दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1181 की किस्म आबादी रही है जिनका श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है । वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण की मौजूदा स्थिति का समर्थन नहीं करते हैं ।

ऐसी स्थिति में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा का नहीं रह जाता है, क्योंकि धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार आबादी भूमि बाबत् सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है । प्रार्थना पत्र आबादी भूमि एवं नगर परिषद ब्यावर के नाम अंकित भूमियों पर लाया गया है जो विधिक तौर पर बाधित है जिस पर न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं वाद के पद संख्या 1 में वर्णित भूमियां खसरा नम्बर 1169, 1180, 1181, 1182 व 1184 की सीमा तक वाद खारिज़ किया जाता है तथा इन खसरा नम्बरान की सीमा तक जारी अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारिज़ की जाती है। आदेश आज दिनांक 07.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर ब्यावर

पीयुष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर
ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2020.01.13 12:05:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: